(1)	(2)	(3)	(4)
3.Staff Car Driver Grade I	05 (2019)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300)

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion	**Promotion**: Staff Car Driver Grade II in Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Additional Medical Superintendent, of the concerned Hospital -Chairman; 2.Deputy Director, Directorate General of Health Services - Member; 3.Deputy Director Administrative, of the concerned Hospital - Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/27/2017-MH -II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.334.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विच्छेदन हॉल तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, (विच्छेदन हॉल तकनीशियन) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.**—इन नियमों की अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जिन्हें इन नियमों के आरंभ से पूर्व सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा और उनके द्वारा उस पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विच्छेदन हॉल तकनीशियन	06* (छह) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए)	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक की छूट) । **टिप्पण 1**: आयु निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख़- भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख़ होंगी (न कि वह नियत तारीख़ जो असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 10+2 एवं प्रयोगशाला में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-** (क) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष (ख) अवर सचिव, अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य (ग) उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है

[फा. सं. ए. 12018/19/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 25th October, 2019

G.S.R. 334.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Dissection Hall Technician in Safdarjung Hospital of Delhi, namely:—

1. (1) Short title and commencement .— These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, (Dissection Hall Technician) Recruitment Rules, 2019.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution .— The incumbent of the post specified in column (1) of the schedule to these rules who were appointed on regular basis in the Safdarjung Hospital, New Delhi before the commencement of these rules shall

be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in such post on regular basis shall be taken into account for the purpose of probation, confirmation and pension.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc .—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dissection Hall Technician	06* (six) (2019) *subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non Gazetted, Non Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age-limit and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
10+2 with Science from a recognised board and two years of experience in the laboratory. **Note 1:** Qualifications are Relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are Relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation) consisting of-** (a) Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; (b) Under Secretary, Hospital Section, Ministry of Health and Family Welfare -Member; (c) Deputy Director, Safdarjung Hospital -Member.	Union Public Service Commission is not to be consulted.

[F. No. A. 12018/19/2016-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.07 19:07:34 +05'30'